संख्याः44/2018/1816/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2018**

विषयः मैसर्स सनलाईट फ्यूल्स लि0, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली को जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जैव अपशिष्टों के समुचित प्रबन्धन तथा उसमें निहित ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल तरीके से दोहन कर प्रदेश के आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय के परिपेक्ष्य में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017, दिनॉक 21 फरवरी, 2018 जारी किया गया है। इस शासनादेश में इंगित उपर्युक्त जैव ऊर्जा परियोजना उत्पादन इकाइयों को स्थापित किये जाने हेतु उद्यमिता मोड में कार्य करने के निर्देश हैं। प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) कार्यदायी संस्था (नोडल एजेंसी) है।

2- तद्नुक्रम में मैसर्स सनलाईट फ्यूल्स लि0, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली को जनपद सीतापुर में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाई की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देने हेतु इकाई को 'लैटर आफ कम्फर्ट' निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परियोजना हेतु भूमि क्रय हेतु मद में शत प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी की छूट उद्यमीकम्पनी से स्टैम्प ड्यूटी के समतुल्य बैंक गारण्टी प्राप्त करने के बाद दी जायेगी।

(2) परियोजना की स्थापना के उपरान्त 03 माह तक इकाई के नियमित संचालन के उपरांत परियोजना हेतु स्वीकृत पूंजीगत उपादान की धनराशि सम्बन्धित उद्यमी/कम्पनी को अन्तरित की जायेगी। प्रश्नगत प्रकरण में यह धनराशि अधिकतम रू0 150.00 करोड़ (रू0 एक अरब पचास करोड़) होगी।

(3) सम्बन्धित उद्यमी/कम्पनी को प्रश्नगत उत्पाद पर लगने वाले एस-जी0एस0टी0 की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति आगामी 10 वर्षों तक अथवा परियोजना में सकल निवेश के समतुल्य मूल्य की सीमा तक जो भी पहले हो, अनुमन्य होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) एसजीएसटी की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति- स्थिर पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा सहित, 10 वर्षो की अवधि तक आवर्तक वित्तीय उपाशय है तथा परियेजना लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150 करोड़ पूंजीगत उपादान एवं भूमि हेतु स्टैम्प ड्यूटी की छूट (बैंक गारण्टी के विरूद्ध) अनावर्तक वित्तीय उपाशय हैं। निवेशकर्ता को यह वित्तीय उपाशय/उपादान परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त, तीन माह तक सफलतापूर्वक वाणिज्यिक उत्पादन करने पर देय होंगे।

3- कृपया तद्नुसार इकाई को लैटर आफ कम्फर्ट निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। स्वीकृति उपरान्त जारी किये जाने वाले 'लैटर ऑफ कम्फर्ट' में अनुमन्य समय सीमा में इकाई को कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, संस्थागत वित्त एवं कर निबंधन विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से ,
चारूलता
सयुंक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।